



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा अभियान तथा इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 21.09.2021 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के पर्यवेक्षण में शराब के अवैध कारोबार पर नियन्त्रण व उसमें लिप्त अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत प्र०नि० थाना खरेला श्री अनूप कुमार दुबे द्वारा गठित उ०नि० उमेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने एक नफर अभियुक्त देव सिंह पुत्र स्व० जनक सिंह नि० मु० रायसिंह कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा को मन्त्री गेट के पास बहद कस्बा खरेला से मय 18 अदद क्वार्टर देशी शराब ठेका के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 110/21 धारा 60 आब० अधि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस बल...

1. उ०नि० उमेश कुमार
2. हे०का० अनिल यादव
3. रि०का० सन्दीप यादव

अभियुक्त का विवरण:-

देव सिंह पुत्र स्व० जनक सिंह उम्र करीब 58 वर्ष नि०मु० रायसिंह कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण-

18 अदद क्वार्टर देशी शराब ठेका नाजायज





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खरेला पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा रहे 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 21.09.2021 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में अवैध जुआ/शराब हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत प्र०नि० थाना खरेला श्री अनूप कुमार दुबे द्वारा गठित उ०नि० जाकिर अली के नेतृत्व में टीम ने ग्राम पुपवारा के पहले स्थित कुड़्या के पास सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा रहे 03 नफर अभियुक्त क्रमशः 1. प्रेम कुमार पुत्र पल्लू कहार 2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जगपाल 3. प्रदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार नि०गण ग्राम पुपवारा थाना खरेला जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया जिसमें अभियुक्तगण के पास से मालफड़ 975 रु० व जामातलाशी 510 रु० व 52 अदद ताश पत्ता बरामद हुए । अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०109/21 धारा 13 जुआ अधि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० जाकिर अली
2. का० मुकेश सिंह 3. रि०का० आशीष कुमार

अभियुक्तों का विवरण:-

1. प्रेम कुमार पुत्र पल्लू कहार उम्र 22 वर्ष
 2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जगपाल उम्र 23 वर्ष
 3. प्रदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार उम्र 21 वर्ष
- समस्त नि०गण ग्राम पुपवारा थाना खरेला जनपद महोबा ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना चरखारी पुलिस टीम ने अवैध 600 ग्राम सूखे गांजे के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़/गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 22.09.2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय द्वारा गठित उ0नि0 विनोद सिंह के नेतृत्व में टीम ने 01 नफर अभियुक्त फूलचन्द्र यादव पुत्र दयाराम नि. ग्राम प्लाट बम्हौरी थाना चरखारी जिला महोबा उम्र करीब 26 वर्ष को बीटीसी रूपनगर तिराहे के पास से गिरफ्तार करते हुये अभियुक्त के कब्जे से 600 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 241/2021 धारा 8/20 **NDPS ACT** पंजीकृत करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

नाम पता अभियुक्त -

फूलचन्द्र यादव पुत्र दयाराम नि. ग्राम प्लाट बम्हौरी थाना चरखारी जिला महोबा उम्र करीब 26 वर्ष।



गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 विनोद सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना चरखारी।
2. का. बृजेश कुमार चौकी कस्बा थाना चरखारी जनपद महोबा।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ ने सर्किल के समस्त थानों के पैरोकार की मीटिंग कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर आज दिनांक 22.09.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह के द्वारा क्षेत्राधिकारी कार्यालय कुलपहाड़ में सर्किल के थानों क्रमशः थाना कुलपहाड़, अजनर, महोबकंठ और पनवाड़ी के पैरोकारों के साथ बालिकाओं के प्रति घटित पाक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत अपराधों में माननीय न्यायालय में पाक्सो एक्ट के अभियोगों के विचारण की स्थिति की समीक्षा की गई जिसमें मिशनशक्ति अभियान के तहत महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकताओं के साथ विश्लेषण करते हुये शासन की प्राथमिकता के आधार पर महिला उत्पीडन से सम्बन्धित पीडिता को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाये जाने के क्रम में और शीघ्र पैरवी करने के निर्देश दिए गये ।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा थाना अजनर के बीट पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहकर अपराध पर अंकुश लगाने व अपराधियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



मिशन शक्ति अभियान के तहत स्कूली छात्राओं को किया गया जागरूक ।

“मिशन शक्ति” अभियान के तहत नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति महिलाओं एवं बालिकाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त एवं निर्भीक बनाने हेतु लगातार जागरूक अभियान चलाया जा रहा है ।

इसी क्रम में आज दिनांक 22.09.2021 को नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक रचना सिंह द्वारा थाना कोतवाली महोबा अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल महोबा में जाकर छात्राओं को तथा प्रभारी निरीक्षक खरेला श्री अनूप कुमार दूबे द्वारा मय उपनिरीक्षक उमेश कुमार, महिला आरक्षी सीता यादव के थाना खरेला महोबा अन्तर्गत कस्बा खरेला में काशी प्रसाद इंटर कॉलेज कस्बा खरेला में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक एवं सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से “मिशन शक्ति फेज 3.0” अभियान के तहत स्कूल की सभी छात्राओं को जागरूक किया गया एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों **1090** वूमेन पावर लाइन, **181** महिला हेल्पलाइन, **108** एंबुलेंस सेवा, **1076** मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, **112** पुलिस आपातकालीन सेवा, **1098** चाइल्ड लाइन, **102** स्वास्थ्य सेवा, **155260** साइबर सुरक्षा आदि के बारे में भी जागरूक किया गया तथा प्रत्येक थाने पर महिला शिकायतकर्ता के लिए स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गयी ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने चोरी के वांछित अभियुक्त को चोरी की हुयी मोटर साइकिल के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के .गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे वांछित / वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 21.09.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह के द्वारा गठित उ0नि0 हरी कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 278/2021 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित वांछित चल रहे अभियुक्त दीपक कुमार कुशवाहा पुत्र परमेश दयाल कुशवाहा उम्र **26** वर्ष नि0मु0 जवाहर नगर कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा को राजीव नगर नई बस्ती मोड़ से मय 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो **HF** डीलक्स (चोरी की) के साथ गिरफ्तार किया गया व बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दीपक कुमार कुशवाहा पुत्र परमेश श्री दयाल कुशवाहा उम्र **26** वर्ष नि0मु0 जवाहर नगर कस्बा व थाना कबरई जिला महोबा ।



गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 हरी कुमार सिंह
2. कां0 अवनेश कुमार



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खन्ना पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा अभियान तथा इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 22.09.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में शराब के अवैध कारोबार पर नियन्त्रण व उसमें लिप्त अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत प्र०नि० थाना खन्ना श्री शिवआसरे द्वारा गठित उ०नि० त्रिभुवन सिंह के नेतृत्व में टीम ने मुखविर की सूचना पर अभियुक्त सत्यप्रकाश वर्मा पुत्र छिदू वर्मा उम्र करीब 25 वर्ष नि० ग्रा० ग्योड़ी थाना खन्ना जिला महोबा को एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में 19 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज के साथ कुनेहटा कबरई मार्ग पर अस्पताल के गेट के पास ग्राम ग्योड़ी से गिरफ्तार किया गया जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०स० 101/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. त्रिभुवन सिंह
2. का. विकास कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

सत्यप्रकाश वर्मा पुत्र छिदू वर्मा उम्र करीब 25 वर्ष नि० ग्रा० ग्योड़ी थाना खन्ना जिला महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.09.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह थाना कोतवाली महोबा द्वारा गठित उ0नि0 अनमोल सिंह चौकी प्रभारी बजरिया के नेतृत्व में टीम ने अभियुक्त रामप्रकाश उर्फ प्रकाश बाबा पुत्र स्व. भानसिंह राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम करहरा कला थाना कोतवाली जिला महोबा स्थायी पता ग्राम पहरा थाना जरिया जिला हमीरपुर को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ ग्राम करहरा कला गाँव के बाहर पचपहरा रोड़ पर नवनिर्माण पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 411/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

अभियुक्त का विवरण-

रामप्रकाश उर्फ प्रकाश बाबा पुत्र स्व. भानसिंह राजपूत निवासी ग्राम करहरा कला थाना कोतवाली जिला महोबा स्थायी पता ग्राम पहरा थाना जरिया जिला हमीरपुर उम्र 45 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अनमोल सिंह प्रभारी चौकी बजरिया थाना कोतवाली जनपद महोबा
2. हे0 कां0 बलीराम
3. कां0 उमेशचन्द्र





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्ता को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा अभियान तथा इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 21.09.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में शराब के अवैध कारोबार पर नियन्त्रण व उसमें लिप्त अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित संयुक्त टीम जिसमें उ०नि० महेन्द्र सिंह तोमर व आबकारी निरीक्षक कनीज फातिमा के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर कबूतरा डेरा वर्मा तालाब महेवा रोड थाना कबरई जिला महोबा के पास से अभियुक्ता कुसमी कबूतरा पत्नी मनोज कबूतरा उम्र 35 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा वर्मा तालाब कस्वा व थाना कबरई जिला महोबा को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद करते हुये थाना हाजा पर मु०अ०सं० 282/21 धारा 60 आब० अधि० पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली संयुक्त टीम -

1. आबकारी निरीक्षक कनीज फातिमा
2. उ०नि० महेन्द्र सिंह तोमर
3. कां० धर्मवीर कुमार
4. कां० नन्दलाल सिंह पटेल

अभियुक्ता का नाम-

कुसमी कबूतरा पत्नी मनोज कबूतरा उम्र 35 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा वर्मा तालाब कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.09.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में पैदल गस्त करके कस्बे में की गई संदिग्धों की चेकिंग

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा थाना कुलपहाड़ के उपनिरीक्षकों व बीट आरक्षियों को किया ब्रीफ

इसी क्रम में थाना कुलपहाड़ में नियुक्त उपनिरीक्षकों व बीट आरक्षियों को ब्रीफ करते हुए क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह द्वारा लंबित विवेचनाओं, आईजीआरएस, संबंधी प्रार्थना पत्रों की समीक्षा की गई व बीट आरक्षियों की बीट बुक तथा रिक्रूट आरक्षियों के ट्रेनिंग रजिस्टर चेक किए गए और आवश्यक दिशा निर्देश दिए साथ ही सायंकाल कस्बा कुलपहाड़ में भ्रमण किया गया

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **287 ई-चालान** किये गये तथा कोविड नियमों के उल्लंघन पर **20 व्यक्तियों से 2000 ₹** वसूला गया ।



आज दिनांक 22.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में डायल 112 वाहनों का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

